



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)  
बीठासीन अधिकारी : - अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी  
क्रमांक संख्या 69/2019 दायर दिनांक 17.10.2019

अनवान

01. सुगनलाल भील (मृतक)

- 1.1 निशा पुत्री सुगनलाल पत्नि पप्पुलाल जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी छतरीखेड़ा तहसील बिजौलियां हाल मुकाम गणेशपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)
- 1.2 रोहित कुमार पुत्र सुगनलाल जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी छतरीखेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 1.3 कृष्णा कुमारी पुत्री सुगनलाल जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी छतरीखेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 1.4 तराना पुत्री सुगनलाल जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी छतरीखेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 1.5 मांगीदेवी पत्नि सुगनलाल जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी छतरीखेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....वादीगण

बनाम

1. ऊकार पिता भंवरलाल जाति भील उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी सतकुण्डिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. सोरतीलाल पिता छोगा जाति भील उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी सतकुण्डिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :- 1. श्री रामफूल धाकड़ - विद्वान अधिवक्ता वादीगण  
2. श्री मुकेश कुमार धाकड़ - विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम



:- निर्णय :-

दिनांक :- 18 / 11 / 2025

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 04.08.2025 को प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी हुयी कि मौजा ग्राम सतकुण्डिया पटवार हल्का रेसुन्दा तहसील बिजौलिया स्थित खाता संख्या 140 पर अंकित आराजी नम्बर 133 रकबा 0.3399 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 134 रकबा 1.2383 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 135 रकबा 0.2104 हैक्टेयर कुल किता 03 रकबा 1.7886 हैक्टेयर

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी  
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

पेज संख्या 02

वादीगण का 15/16 हिस्सा हैं। वादीगण का मौके पर जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन किए जाने के आदेश दिये गये। प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बिजौलिया से लिया गया। तहसीलदार बिजौलियां ने अपने पत्र/राजस्व/2025/1547 दिनांक 23.09.2025 से प्राथमिक डिक्री की पालना, मौका रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अधिवक्ता वादीगण को स्वीकार है।

विभाजन प्रस्ताव जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर वादीगण की उपस्थिति में तैयार करना भू-अभिलेख निरीक्षक कास्यां ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
01	कृष्णा 1/5, तराना 1/5, निशा 1/5, रोहित कुमार 1/5 पिता सुगनलाल मांगी पत्नि सुगनलाल 1/5 भील सा0 छतरीखेड़ा योग	सतकुण्डिया	133/1 134 135	0.2281 1.2383 0.2104
			खसरा 03	1.6768
02	ऊकार पिता भंवरलाल भील 4/5 सोरतीलाल पिता छोगा भील 1/5 सा0 देह खातेदार योग	सतकुण्डिया	133	0.1118
			खसरा 01	0.1118

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री मूर्तिब की जावे। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।



(अजीत सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां

निर्णय आज दिनांक 18 / 11 / 2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अजीत सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां



राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

करण संख्या 69/2019

दायर दिनांक 17.10.2019

अनवान

01. सुगनलाल भील (मृतक)

1.1 निशा पुत्री सुगनलाल पत्नि पप्पुलाल जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी छतरीखेड़ा तहसील बिजौलियां हाल मुकाम गणेशपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

1.2 रोहित कुमार पुत्र सुगनलाल जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी छतरीखेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

1.3 कृष्णा कुमारी पुत्री सुगनलाल जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी छतरीखेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

1.4 तराना पुत्री सुगनलाल जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी छतरीखेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

1.5 मांगीदेवी पत्नि सुगनलाल जाति भील उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी छतरीखेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..... डिक्रीदार

बनाम

1. ऊकार पिता भंवरलाल जाति भील उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी सतकुण्डिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

2. सोरतीलाल पिता छोगा जाति भील उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी सतकुण्डिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....मदयूनान

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 18 / 11 / 2025

डिक्री दिनांक : 18 / 11 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियां बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादी श्री रामफूल धाकड़ एवं विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री मुकेश कुमार धाकड़ को हुकम दिया है व डिक्री दी जाती है कि :-

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर डिक्री इस आशय कि जारी की जाती है कि :- निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम ग्राम सतकुण्डिया पटवार हल्का रेसुन्दा के राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

लगातार पेज संख्या 02 पर



उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
01	कृष्णा 1/5, तराना 1/5, निशा 1/5, रोहित कुमार 1/5 पिता सुगनलाल मांगी पत्नि सुगनलाल 1/5 भील सा0 छतरीखेड़ा योग	सतकुण्डिया	133/1 134 135	0.2281 1.2383 0.2104
			खसरा 03	1.6768
02	ऊकार पिता भंवरलाल भील 4/5 सोरतीलाल पिता छोगा भील 1/5 सा0 देह खातेदार योग	सतकुण्डिया	133	0.1118
			खसरा 01	0.1118

उक्तानुसार डिक्री मूर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।

नीज .....Nil.....मुबलिंग ..... Nil .....बाबत .....

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर ..... Nil .....फीसदी सालाना आज की  
से तारीख वसूल याबी तक ..... Nil .....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 1.8 माह 1.1 वर्ष 2025 को जारी  
गया।

नोट :- प्रकरण में वकील वादीगण द्वारा स्टाम्प 100 रूपयें का प्रस्तुत करने से डिक्री आज दिनांक  
1.8 / 1.1 / 2025 को मुर्तिब की गई।



3  
(अजीत सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौरियां

क्र.	रुपया	पैसे	मुदायली	रुपया	पैसे
स्टाम्प अरजी दया	-		स्टाम्प अरजी दया	-	
स्टाम्प वकीलात नामा	-		स्टाम्प वकीलात नामा	-	
स्टाम्प वजह सबूत	-		स्टाम्प वजह सबूत	-	
मेहनताना वकील ( )	-		मेहनताना वकील ( )	-	
खर्चा गवाह	-		खर्चा गवाह	-	
फीस कमीशनर	-		फीस कमीशनर	-	
बाबत इजराय हुक्मनामा	-		बाबत इजराय हुक्मनामा	-	
मुनफरिक	-		मुनफरिक	-	
मीजान			मीजान		



3  
(अजीत सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौरियां